न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

मु.अ. 34 4-2000-10 लाख फा

APP Cell

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

राहुल बनाम राज: सरकार

किस्म मुकदमा अपील नामान्तरण नं० 07 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप० । रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगा. 7 की ओर से एड. श्री ऋषिराज शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की तलबी बाद तामील प्राप्त। वास्ते तलबी रेस्पोडेन्ट सं. 2 की जाकर पत्रावली दिनांक 16/12/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
16/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता नवल किशोर गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं अत: रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस उभयपक्ष वकील की गयी। हमने बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 16/12/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

1604, 1605, 1606, 1608, 1609 1610, 1612 कुल किता 16

कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके रामा बांदीकुई जागीर पटवार

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या:– 07/2024
प्रकरण दायर दिनांक:–01.10.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक:– 16.12.2024

उनवान

1. राहुल सैनी पुत्र मगन लाल सैनी उम्र 30 वर्ष जाति माली निवासी बडियाल रोड जागीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बॉदीकुई जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत भाण्डेडा जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत भाण्डेडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा
3. रामभरोसी पुत्र मगनलाल
4. रमेश चंद पुत्र मगनलाल
5. गुड्डी पुत्री मगनलाल
6. सुनिता पुत्री मगनलाल
7. बबिता पुत्री मगनलाल

(3 से 7) समस्त जाति माली निवासी बडियाल रोड जागीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण

अपीलान्ट द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 213 आदेश दिनांकः 05.05.2008 ग्राम पंचायत भाण्डेडा इस आशय का पेश किया कि भूमि खाता संख्या नया 175 पुराना 170 खसरा नंबर 1586, 1587, 1588, 1590, 1594, 1595, 1596, 1603, 1604, 1605, 1606, 1608, 1609, 1610, 1612 कुल किता 16 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके रामा बांदीकुई जागीर पटवार हल्का बांदीकुई जागीर तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसे आगे अपील में भूमि मुतदाविया के नाम से संबोधित किया गया है। भूमि मुतदाविया खाता संख्या 175 पुराना 170 में अपीलान्ट के पिता मगनलाल पुत्र नहन्या का हिस्सा 1/8 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चला आ रहा है अपीलान्ट के पिता मगनलाल का स्वर्गवास होने पर स्व. मगनलाल के वारिसान का नामान्तकरण संख्या 213 दिनांक 05.05.2008 को ग्राम पंचायत भाण्डेडा द्वारा तस्दीक किया गया जिसमें स्व. मगनलाल के वारिसान, रामभरोसी, रमेशचंद, तोताराम पुत्रान मगनलाल एवं गुड्डी, सुनिता, बबीता पुत्रियां मगनलाल के नाम प्रत्येक के हिस्से1/48 भूमि की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

का नामान्तकरण दर्ज किया गया है। स्व. मगनलाल के वारिसान के नाम दर्ज किये गये नामान्तकरण के समय रामभरोसी, रमेश चंद, तोताराम पुत्रान मगनलाल एवं गुड्डी, सुनिता, बबीता पुत्रियां मगनलाल के नामान्तकरण दर्ज किया गया जबकि स्व. मगनलाल के तोताराम नाम को कोई वारिस/उत्तराधिकारी नहीं है एवं अपीलांट राहुल पुत्र मगनलाल, स्व. मगनलाल का वारिस उत्तराधिकारी है जिसका नाम नामान्तकरण दर्ज करते समय राहुल दर्ज नहीं कर तोताराम दर्ज कर दिया गया है ग्राम पंचायत भाण्डेडा व राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम राहुल के स्थान पर तोताराम कर दिया जो गलत है अपीलान्ट का सही नाम राहुल पुत्र स्व. मगनलाल है अपीलान्ट के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र आदि में अपीलांट का नाम राहुल पुत्र मगनलाल दर्ज है जो सही है। लेकिन अपीलान्ट के नाम का गलत इन्द्राज हो रहा है। उक्त गलत इन्द्राज के कारण अपीलान्ट को भूमि मुतदाविया में किसी भी प्रकार की निजी या सरकारी सुविधा प्राप्त करने में कानूनी अडचन पैदा उत्पन्न हो रहे है ऐसी स्थिति में उक्त गलत दर्ज किये गये नामान्तकरण को निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित एवं लाजमी है ऐसी सूरत में वादी अपीलान्ट के गलत नाम से दर्ज किये गये नामान्तकरण को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का सही नाम राहुल पुत्र मगनलाल हिस्सा 1/48 का नामान्तकरण दर्ज जमाबंदी करवाने हेतु अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अपीलान्ट के पिता स्व. मगनलाल पुत्र नहन्या के वैध वारिसान रामभरोसी, रमेश चंद राहुल पुत्रान मगनलाल एवं गुड्डी, सुनिता, बबीता, पुत्रियां मगनलाल है व इस अनुसार ही स्व. मगनलाल की मृत्यु के उपरांत सभी वारिसान स्व. मगनलाल के भूमि मुतदाविया राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से 1/8 में से प्रत्येक अपने 1/48–1/48 हिस्से पर काबिज काश्त होकर बिना किसी विध्न व बाधा के उपयोग उपभोग कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। अपीलान्ट के गलत नाम तोताराम पुत्र मगनलाल हिस्सा 1/48 के नाम से दर्ज किये गये नामान्तकरण संख्या 213 दिनांक 05.05.2008 को निरस्त फरमाये जाने व अपीलान्ट के सही नाम राहुल पुत्र मगनलाल हिस्सा 1/48 के नाम से नामान्तकरण दर्ज किये जाने से अन्य सहखातेदारान के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव पडने की संभावना नहीं है तथा उक्त गलत नामान्तकरण को निरस्त कर सही नाम से नामान्तकरण दर्ज किये जाने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अडचन भी नहीं है। अपीलांट के गलत नाम से दर्ज नामान्तकरण के कारण अपीलान्ट अपने जायज हक हकूक अधिकारात से वंचित हो रहा है ऐसी सूरत में अपीलान्ट के गलत नाम से दर्ज नामान्तकरण को निरस्त फरमाया जाकर सही नाम से नामान्तकरण दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार बांदीकुई को आदेश किया जावें कि ग्राम पंचायत भाण्डेडा के द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 213 दिनांक 05.05.2008 को निरस्त कर मृतक मगनलाल के सही वारिसान के नाम से नामान्तकरण दर्ज किया जावें तथा भूमि मुतदाविया खाता संख्या नया 175 पुराना 170 खसरा नंबर 1586, 1587, 1588, 1590, 1594, 1595, 1596, 1603, 1604, 1605, 1606, 1608, 1609, 1610, 1612 कुल किता 16 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके रामा बांदीकुई जागीर पटवार हल्का बांदीकुई जागीर तहसील बांदीकुई जिला दौसा में ग्राम पंचायत भाण्डेडा द्वारा अपीलान्ट के गलत तोताराम पुत्र मगनलाल हिस्सा 1/48 के नाम से दर्ज नामान्तकरण संख्या 213 दिनांक 05.05.2008 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के सही नाम राहुल पुत्र मगनलाल हिस्सा 1/48 से नामान्तकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जर्ये नोटिस विधिवत की गई। रेस्पॉडेन्ट सं. 3 लगायत 7 की ओर से एड. श्री ऋषिराज शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से एड. श्री नवलसिंह गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी.तामील उपस्थित नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण सं. 213 ग्राम पंचायत भाण्डेडा विरासत से मगनलाल पुत्र नहन्या के नाम से दर्ज हुआ है। जिसमें मगनलाल के फौत होने पर उसके वारिसान रामभरोसी, रमेशचंद, तोताराम पि0 मगनलाल गुड्डी, सुनीता, बबीता पुत्रियान मगनलाल के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाकर नामान्तकरण दिनांक 05.05.2008 स्वीकार किया जाना अंकित है जिसका राजस्व जमाबन्दी संवत 2075–2078 ग्राम बांदीकुई जागीर खाता सं. नया 175 पुराना 170 में तोताराम पुत्र मगनलाल दर्ज रिकार्ड हुआ है। पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में अपीलान्ट का नाम राहुल पुत्र मगन लाल दर्ज है। उपरोक्त अवलोकन से नामान्तकरण संख्या 213 ग्राम पंचायत भाण्डेडा दिनांकः 05.05.2008 में अपीलान्ट नाम में सहवन से त्रुटि कारित होना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से अपीलांटी अपीलान्ट अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर अपीलान्ट अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 213 आदेश दिनांकः 05.05.2008 ग्राम पंचायत भाण्डेडा आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 213 आदेश दिनांकः 05.05.2008 ग्राम पंचायत भाण्डेडा तहसीलदार बांदीकुई रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बांदीकुई उक्त नामान्तकरण की पुनः विधिवत सुनवाई करते हुये नाम की जॉच कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

16/12/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner